रजिस्ट्री सं० डी० एल० 33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 167] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 21, 2002/श्रावण 30, 1924

No. 167] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 21, 2002/SRAVANA 30, 1924

प्रसार भारती

(भारतीय प्रसारण निगम)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2002

सं. एन-10/23/2001-पीपीसी.—निगम प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 (1990 का 25) की धारा 9 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) इन विनियमों को प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) (वरिष्ठ कार्यक्रम पद) भर्ती विनियम, 2002 कहा जाएगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

Scanned by CamScanner

2. प्रारंभिक संघटन:- इन नियमों के प्रवृत्त होने के समय कार्यक्रम निष्पादक जिसमें अनुवादक, सम्पादक [स्क्रिप्ट], सम्पादक, प्रस्तुतकर्ता, प्रस्तुतकर्ता ग्रेड- II, प्रस्तुतकर्ता [नाट्य], प्रस्तुतकर्ता [संगीत एवं नृत्य], प्रस्तुतकर्ता [ग्रामीण कार्यक्रम], प्रस्तुतकर्ता [शैक्षिक कार्यक्रम], प्रस्तुतकर्ता [बाल एवं महिला कार्यक्रम], प्रस्तुतकर्ता [खेल], प्रस्तुतकर्ता [सामान्य कार्यक्रम], प्रस्तुतकर्ता [समाचार एवं सामयिक विषय], संदर्भ अधिकारी, फार्म रेडियो अधिकारी और विस्तार अधिकारी के रूप में पदाभिहित पद भी सम्मिलित हैं, के पदों को नियमित आधार पर धारित सभी व्यक्ति, जिन्होंने उनकी सेवाओं को निगम में स्थानांतरित करने का विकल्प दिया है, इन विनियमों के तहत उस पद पर नियुक्त माने जाएंगे। इन विनियमों के लागू होने से पहले उनके द्वारा की गई सेवा अवधि को अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति आदि के लिए पात्रता के निर्धारण हेतु ध्यान में रखा जाएगा।

3. पद संख्या और वेतनमान - उक्त पदों की संख्या तथा उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन विनियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कॉलम 2 और 3 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि - उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के कालम 4 से 11 में विनिर्दिष्ट हैं।

5. अनर्हता -वह व्यक्ति -

[क] जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या
[ख] जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि निगम का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

6. शिथिल करने की शक्ति -जहां निगम की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, आदेश द्वारा, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध में छूट दे सकता है।

7. व्यावृत्ति :- इन विनियमों में कोई भी बात केन्द्रीय सरकार द्वारा समय- समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के व्यक्तियों को दिए जाने वाले आरक्षणों, आयु सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

Scanned by CamScanner

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतन मान	क्या चयन योग्यता के आधार पर होगा या वरिष्ठता के आधार पर	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति के मामलों में भी लागू होंगी	परीवीक्षा अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति	ग्रेड जिससे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. कार्यक्रम निष्पादक [इसमें निम्नलिखित पद भी शामिल हैं] 1] अनुवादक 2] सम्पादक [illegible] 3] सम्पादक 4] प्रस्तुतकर्ता 5] प्रस्तु[illegible] ग्रेड I जिसमें निम्नलिखित भी शामिल हैं- [1] प्रस्तुतकर्ता [नाट्य] [2]प्रस्तुतकर्ता [संगीत एवं नृत्य] [3] प्रस्तुतकर्ता [ग्रामीण कार्यक्रम] [4] प्रस्तुतकर्ता [शैक्षिक कार्यक्रम] [5] प्रस्तुतकर्ता [बाल एवं महिला कार्यक्रम] [6] प्रस्तुतकर्ता [खेल] [7] प्रस्तुतकर्ता [सामान्य कार्यक्रम] [8] प्रस्तुतकर्ता [समाचार एवं सामयिक विषय]	*1624 *कार्यभार के आधार पर संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।	*6500 - 200 - 10500 /- रूपए * वर्तमान पदधारियों तथा 25.2.1999 को फीडर ग्रेडों से प्रोन्नत वर्तमान पदधारियें के मामले में 7500-250-12000/- रूपए	चयन	30 वर्ष से अधिक नहीं टिप्पणी: आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख वह तारीख होगी जो उम्मीदवारों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी परन्तु असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर का लद्दाख मंडल, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पिती जिले तथा चम्बा	क [I] किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम0 ए0 या एम0 एस0 सी0 की डिग्री या समकक्ष [II] साहित्यिक या ड्रामेटिक या वाद विवाद संबंधी गतिविधियाँ या प्रकाशन या लोकप्रिय विज्ञान संबंधित रिकार्ड हो। या [ख]] [1] किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समकक्ष परन्तु कार्यक्रम निष्पादक [संगीत] के पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम योग्यता किसी मान्यता प्राप्त स्कूल/ बोर्ड/ विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होगी। [II] राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से या नाट्य के क्षेत्र में मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्थान से डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से	आयु- नहीं शैक्षणिक योग्यताएं- नहीं, परन्तु किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री या समकक्ष डिप्लोमा अवश्य होना चाहिए। टिप्पणी: उपर्युक्त शैक्षिक योग्यताएं उन व्यक्तियों के लिए लागू नहीं होंगी जो 8 मई 1991 को या इससे पहले से फीडर ग्रेड में नियमित आधार पर कार्यरत हैं बशर्ते कि उन्होंने कम से कम मैट्रिकुलेशन या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हुई हो।	दो वर्ष	[1] 40 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा [11] 60 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति 1 सहायक सम्पादक [जनजातीय बोलियां], सहायक सम्पादक [स्क्रिप्ट], सहायक सम्पादक [फार्म एंड होम], सहायक सम्पादक [शैक्षणिक प्रसारण], सहायक सम्पादक [विद्यालय प्रसारण], सहायक सम्पादक [परिवार कल्याण], सहायक सम्पादक [प्रेषण निष्पादक] तथा स्क्रिप्ट लेखक जिनकी 5500-175- 9000/- रू के वेतनमान के ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा हो तथा 2 प्रेषण निष्पादक तथा प्रेषण निष्पादक के रूप में पदभिहित तत्कालीन स्टाफ कलाकारों की श्रेणियां जिन्होंने 5000-150-8000/- रू0 के वेतनमान में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो।	पदोन्नति तथा स्थायीकरण पर विचार करने हेतु विभागीय पदोन्नति समिति [I] सदस्य [कार्मिक]- अध्यक्ष [II] उप महानिदेशक [प्रशा0] / निदेशक [प्रशा0 एवं वित्त], आकाशवाणी- सदस्य [III] उप महानिदेशक [प्रशा0] दूरदर्शन- सदस्य

group h

Scanned by CamScanner

6] संदर्भ अधिकारी 7] फार्म रेडियो अधिकारी 8] विस्तार अधिकारी				जिले का पांगी उप मंडल , अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख को छोड़कर।	संगीत में डिप्लोमा या प्रसारण के लिए गायक या वाद्य संगीतज्ञ के रूप में आकाशवाणी द्वारा न्यूनतम बी हाई ग्रेडिंग या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से पत्रकारिता में डिप्लोमा या किसी प्रसारण संगठन में प्रस्तुतिकरण और/या प्रोग्रामिंग में कम से कम 5 वर्ष की सतत सेवा, लोक अथवा जनजातीय संगीत संबंधी शोध प्रकाशन, या सुगम संगीत रचना में प्रवीणता और इस आशय का प्रमाण कि ऐसे संगीत को फिल्म या प्रसारण संगठन या ग्रामोफोन कम्पनी ने स्वीकार किया था। टिप्पणी:1 आदिवासी बोलियों के संबंध में यदि निर्धारित योग्यता रखने वाले पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते तो भर्ती बोर्ड के विवेकानुसार स्नातक या समकक्ष अर्हता में ढील दी जा सकती है । टिप्पणी:2 सही- सही शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताओं को भर्ती के समय आवश्यकतानुसर विनिर्दिष्ट किया जाएगा।				टिप्पणी:-1 पदोन्नति हेतु पात्रता सूची संबंधित अधकारियों द्वारा उस ग्रेड/ पद में निर्धारित अर्हक सेवा पूरी करने की तारीख के अनुसार तैयार की जाएगी। टिप्पणी:- 2 [क] पदोन्नति के प्रयोजन के लिए नियमित कार्यक्रम संवर्ग तथा प्रेषण निष्पादक के रूप में पदभिह्ति स्टाफ कलाकारों की वरिष्ठता सूची अलग- अलग होगी। [ख] कार्यक्रम निष्पादक के ग्रेड में पदोन्नति उन दोनों सूचियों में से कोटे के आधार पर की जाएगी जिसका अनुपात 1: 1 होगा। [ग] पदोन्नति हेतु अधिकारियों की पात्रता निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख रिक्तियों के पूर्ववर्ती वर्ष की पहली जनवरी होगी। [घ] जहां पदोन्नति के लिए ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों पर विचार किया जा रहा हो जिन्होंने अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, वहां उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों पर भी विचार किया जाएगा	

Scanned by CamScanner

					<u>टिप्पणी:3</u> अन्यथा सुअर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों के मामले में भर्ती बोर्ड के विवेकानुसार योग्यताओं में ढील दी जा सकती है। टिप्पणी:4 यदि चयन प्रक्रिया के किसी स्तर पर भर्ती बोर्ड का यह मत हो कि अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो पाएंगे तो इन समुदायों के अभ्यर्थियों के मामले में भर्ती बोर्ड के विवेकानुसार अनुभव संबंधी योग्यता में ढील दी जा सकती है।				बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा आधे या दो वर्ष से अधिक, कम न हो, इनमें से जो भी कम हो, तथा उन्होंने अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए परिवीक्षा अवधि उनके कनिष्ठ व्यक्तियों जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, के साथ पूरी कर ली हो। [ङ.] नियमित कार्यक्रम संवर्ग के साथ सरकारी कर्मचारी बन गए स्टाफ कलाकार का विलय कार्यक्रम संवर्ग में अगले उच्चतर ग्रेड में उसकी पदोन्नति के समय ही किया जाएगा।	

के. एस. सर्मा, कार्यकारी सदस्य

[विज्ञापन/III/IV/163/02/असाधा.]

PRASAR BHARATI

(BROADCASTING CORPORATION OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st August, 2002

No. N-10/23/2001-PPC.— :In exercise of the powers conferred by section 33 read with sub-section (2) of section 9 of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990 (25 of 1990), the Corporation, with the prior approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:-

1. **Short title and commencement:** (i) These regulations may be called the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) (Senior Programme posts) Recruitment Regulations, 2002.

   (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Initial Constitution:** All persons appointed at the commencement of these rules holding the posts of Programme Executive including the posts designated as Translator, Editor (Scripts), Editor, Producer, Producer Grade-II including Producer (Drama), Producer (Music & Dance), Producer (Rural Programme), Producer (Educational Programme), Producer (Children & Women's Programme), Producer (Sports),) Producer (General Programme), Producer (News & Current Affairs), Reference Officer, Farm Radio Officer and Extension Officer on regular basis and who have opted for transfer of their services to the corporation shall be deemed to have been appointed as such by these regulation. The service rendered by them before the commencement of these rules shall be taken into account for deciding the eligibility for promotion etc; to the next higher grade.

3. **Number of posts and scales of pay:** The number of posts and their scales of pay shall be as specified in columns 2 and 3 of the schedule annexed hereto.

Scanned by CamScanner

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications:** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in the columns 4 to 11 of the said Schedule.

5. **Disqualification :** No person-

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the service:

Provided that the Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage exempt any person from the operation of this regulation.

6. **Power to relax:** Where the Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, with the previous approval of the Central Government, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons or posts.

7. **Savings:** Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for persons belonging to the Scheduled Castes, the Schedules Tribes and other categories of persons in accordance with the orders issued by Government, from time to time.

Scanned by CamScanner

SCHEDULE

Name of the post	No. of posts.	Scale of pay	Whether selection by merit or Selection-cum-seniority	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of Recruitment	Grade from which promotion/ deputation/ absorption to be made.	If Departmental Promotion Committee what is its composition.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Programme Executive [This includes post designated as:- 1. Translator; 2. Editor (Scripts); 3. Editor; 4. Producer; 5. Producer Grade-II which including:- (i) Producer (Drama); (ii) Producer (Music & Dance); (iii) Producer (Rural Programme); (iv) Producer (Educational Programme);	* 1624 (2002) * Subject to variation dependant on workload	* Rs.6500-200-10500/- *Rs. 7500-250-12000/- in the case of existing incumbents and also promotees of existing incumbents from feeder grades as on 25.2.1999.	Selection	Not exceeding 30 years. *Note* : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates except for the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura,	**A.** (i) M.A. or M.Sc degree of a recognized University or equivalent. (ii) A record of literary or dramatic or debating activities or publications or popular science. OR **B.** (i) Degree of a recognized University or equivalent provided that for candidates applying for posts of Programme Executive (Music) the minimum qualification shall be	Age : No. Educational qualifications: No, but must possess a bachelor's degree or equivalent diploma from a recognised University. *Note* : The above educational qualifications will not apply to persons in the feeder grade holding the post as such on regular basis on or before 8th May, 1991, provided they	Two years.	(i) 40% by promotion, failing which by direct recruitment (ii) 60% by direct recruitment	Promotion: (1) Assistant Editor (Tribal Dialects), Assistant Editor (Scripts), Assistant Editor (Farm & Home), Assistant Editor (Educational Broadcasting), Assistant Editor (School Broadcast), Assistant Editor (Family Welfare), Assistant Editor (Transmission Executive) and Scripts Writer, in the pay scale of Rs. 5500-175-9000/- with three years regular service in the grade, and (2) Transmission	**Departmental Promotion Committee for considering promotion and confirmation** (i) Member (Personnel) – Chairman. (ii) Deputy Director General (Administration)/ Director (Administration and Finance), Akashvani – Member (iii) Deputy Director General, (Administration), Doordarshan –Member

(v) Producer (Children & Women's Programme); (vi) Producer (Sports); (vii) Producer (General Programme); (viii) Producer (News & Current Affairs); and 6. Reference Officer; 7. Farm Radio Officer and 8. Extension Officer				Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir, Lahul and Spiti District and Pangi sub-Divisions of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	matriculation pass from a recognised School / Board / University or equivalent; (ii) Diploma from the National School of Drama or any other recognised institution in the field of drama; or Diploma in music from a recognised Institution; OR A minimum of 'B' High grading by Akashvani for broadcasting as vocalist or instrumentalist; OR A Diploma in Journalism from a recognised University or a recognised Institution; OR Not less than five years continuous employment in production and / or programming in a broadcasting organisation; Research	are at least matriculates or equivalent.			Executive, including categories of erstwhile Staff Artists designated as Transmission Executive in the pay scale of Rs. 5000-150-8000/- with eight years regular service in the grade. *Note 1*: The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade/ post. *Note 2* : (a) For the purposes of promotion, there shall be separate list of seniority of officers of regular programme cadre and that of staff artists designated as Transmission Executive ; (b) Promotion to the grade of	

Scanned by CamScanner

					publication on folk or tribal music; or proficiency in composing light music with evidence of such music having been accepted by film or broadcasting organization or gramophone company. *Note 1*: In respect of tribal dialects, if sufficient candidates with prescribed qualifications are not available, graduate or equivalent qualification may be relaxed at the discretion of Recruitment Board. *Note 2* : The exact educational and other qualifications shall be specified according to requirement at the time of recruitment. *Note 3* : Qualifications are relaxable at the discretion of the Recruitment Board in the case of candidates otherwise well qualified. *Note 4* : The				Programme Executive from the two list shall be on a quota basis, the ratio of which shall be 1:1. (c) The crucial date for determining the eligibility of officers for promotion shall be 1st January of the preceding year of vacancy(ies). (d) Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully	

					qualification regarding experience are relaxable at the discretion of the Recruitment Board in the case candidates belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Recruitment Board is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be suitable to fill up the vacancies reserved for them.				completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. (e) The merger of staff artist who has become a government employee with a regular programme cadre shall be made only at the time of his promotion to the next higher grade in the programme cadre.	

K. S. SARMA, Executive Member

[ADVT/III/IV/163/02/Exty.]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Scanned by CamScanner